दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सुरक्षित: 23 जुलाई, 2024
उद्घोषित: 28 अगस्त, 2024

<u>रि.या.(आप.) 1462/2023 और आप.वि.अ.31683/2023 (निर्देश हेतु)</u>

1. **रितिका राज**
पत्नी श्री रिशु राज .....याचिकाकर्ता सं. 1

2. **हिरेंद्र कुमार उंडवार**
पुत्र स्वर्गीय श्री बालेश्वर प्रसाद ..... याचिकाकर्ता सं. 2

3. **रिशु राज**

पुत्र राजेश किशोर नारायण
सभी निवासी म.सं. सी-101, कंचनजंगा
अपार्टमेंट, सेक्टर-53, नोएडा,
तहसील दादरी, पु.था. सेक्टर-24,
गौतम बुद्ध नगर, नोएडा,
उत्तर प्रदेश ..... याचिकाकर्ता सं. 3

द्वारा: श्री श्रीप्रकाश सिन्हा और सुश्री श्वेतम, अधिवक्तागण

बनाम

1. थानाध्यक्ष पु.था. जामिया नगर
दिल्ली के माध्यम से राज्य .....प्रत्यर्थी सं. 1

2. **शाहनवाज खान (शिकायतकर्ता)**
पुत्र मोहम्मद सफीर खान
निवासी म.सं, आर-5, नफीस रोड
जोगाबाई, जामिया नगर ओखला
नई दिल्ली ..... प्रत्यर्थी सं. 2

द्वारा: श्री राहुल त्यागी, अति.स्था.अधि., आप. सह श्री सार्थक चौधरी, श्री हिमांशु, सुश्री सीरत फातिमा, श्री मुजाकिर हुसैन, श्री नसीम तबरेज़, श्री सलीम हुसैन और श्री वैभव कश्यप, राज्य उप.नि. प्रदीप मलिक, पु.था. जामिया नगर, दिल्ली के अधिवक्तागण
श्री क्षितिज माथुर, प्र.-2 के लिए अधिवक्ता (वीसी द्वारा)

कोरम:
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री नीना बंसल कृष्णा

<u>निर्णय</u>

<u>न्या. नीना बंसल कृष्णा</u>

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 सहपठित दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 (तत्पश्चात *'दं.प्र.सं., 1973' के रूप में संदर्भित*) के तहत आपराधिक रिट याचिका याचीगण की ओर से दायर की गई है, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 379/406/420/467/468/471 *(तत्पश्चात 'भा.दं.सं., 1860' के रूप में संदर्भित)* के तहत अपराधों के लिए जामिया नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज दिनांक 21.12.2022 की प्राथमिकी संख्या 481/2022 को अभिखंडित करने की मांग की गई है।

2. **याचिका में प्रस्तुत किया गया है** कि शिकायतकर्ता/प्रत्यर्थी संख्या 2, अर्थात शाहनवाज खान ने 27.07.2022 को पुलिस स्टेशन जामिया नगर में वर्तमान याचीगण के खिलाफ शिकायत की थी, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद, उन्होंने दं.प्र.सं., 1973 की धारा 156(3) के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसके तहत विद्वान महानगर दण्डाधिकारी के निर्देश पर, 21.12.2022 को पुलिस स्टेशन जामिया नगर में प्राथमिकी संख्या 481/2022 दर्ज की गई है।

3. शिकायत में लगाए गए आरोप हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 2, शाहनवाज खान की मुलाकात याचिकाकर्ता संख्या 1, सुश्री रितिका राज से वर्ष 2015 में बैंक में खाता खोलने के संबंध में हुई थी, जहां वह सहायक प्रबंधक के रूप में काम कर रही थी। शिकायतकर्ता/प्रत्यर्थी संख्या 2 के अनुसार, याचिकाकर्ता संख्या 1 ने खुद को तलाकशुदा स्त्री और 4-5 साल के लड़के की एकल मां के रूप में प्रस्तुत किया था। वह जानबूझकर शिकायतकर्ता के करीब आई और वे दोनों

एक रिश्ते में आ गए। प्रत्यर्थी संख्या 2 ने आरोप लगाया था कि याचिकाकर्ता संख्या 1 ने अपने पति को अपने भाई के रूप में और याचिकाकर्ता संख्या 3, रिशु राज का परिचय अपने पिता के रूप में कराया। कुछ समय बाद, वह अपनी मर्जी से प्रत्यर्थी संख्या 2 के साथ रहने लगी, जो उसे दिल्ली के तीस हजारी न्यायालय ले गया और 15.02.2022 को विवाह का शपथपत्र तैयार करवाया और उन्होंने शादी कर ली।

4. प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपनी शिकायत में आगे आरोप लगाया था कि वे तीन साल से रिश्ते में एक साथ रह रहे थे और याचिकाकर्ता संख्या 1/सुश्री रितिका नियमित रूप से अपने लिए और साथ ही अन्य याचीगण के खर्चों के लिए उससे पैसे ले रही थी। उसने तीन साल की अवधि में शिकायतकर्ता के लगभग 25,00,000/- रुपये खर्च किए। प्रत्यर्थी संख्या 2 उसकी सभी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करता था और उस अवधि के दौरान उसने आभूषण और ब्रांडेड कपड़ों के साथ कई मोबाइल फोन खरीदे थे। शिकायतकर्ता/प्रत्यर्थी संख्या 2 के अनुसार, याचिकाकर्ता संख्या 1 *ने अन्य याचीगण के साथ मिलकर 13,00,000/- रुपये से अधिक मूल्य की तीन ब्रांडेड घड़ियों, 1,50,000/- रुपये मूल्य के ब्रांडेड चश्मे की पांच जोड़ी चोरी करने की साजिश रची और उसकी जीजे01-आरयू-1111 रजिस्ट्रेशन नंबर वाली ऑडी ए6, मॉडल 2016 भी ले ली।*

5. प्रत्यर्थी संख्या 2 ने आगे आरोप लगाया था कि रिश्ते में अत्यधिक विश्वास के कारण, याचिकाकर्ता संख्या 1, सुश्री रितिका राज ने नामे कार्ड,बीमा के कागज़ात, चेक बुक, एसआईपी ले लिया और जब प्रत्यर्थी संख्या 2 ने उन

चीजों को वापस करने के लिए कहा, तो उसने उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा यह भी दावा किया गया था कि याचिकाकर्ता संख्या 1 ने आईडीबीआई बैंक के अज्ञात स्थानों से उसके हस्ताक्षरों की जालसाजी की और उसकी जानकारी के बिना उसके खाते से कई अवैध लेन-देन किए थे। यह भी दावा किया गया था कि उसने प्रत्यर्थी संख्या 2 से 1 करोड़ रुपये की मांग इस धमकी पर की, कि वह शिकायतकर्ता के खाली चेक जारी करेगी।

6. इसके अतिरिक्त, उसने अन्य सह-आरोपियों के साथ मिलकर 29.03.2022 को नमन शर्मा के पक्ष में 15,90,000/- रुपये की राशि के लिए एक चेक नंबर 716878 पेश किया, जिसकी जानकारी शिकायतकर्ता को नहीं थी। उसने इसे रुकवा दिया, जिस पर याचिकाकर्ता संख्या 1 ने धमकी दी कि अगर वह उसे मांगी गई राशि देने में विफल रहा, तो वह अन्य सह-आरोपियों के साथ मिलकर शिकायतकर्ता के खाली चेक अन्य व्यक्तियों को वितरित करेगी, ताकि प्रत्यर्थी संख्या 2 को परेशान किया जा सके। उसने अन्य बैंक कर्मचारियों की मदद से बैंक खाते में उसका मोबाइल नंबर बदल दिया और उसने सभी आरोपियों के साथ मिलकर शिकायतकर्ता के खिलाफ साजिश रची और उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।

7. हालांकि, याचीगण द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि यह प्राथमिकी संख्या 481/2022, पुलिस स्टेशन जामिया नगर इस आधार पर अभिखंडित करने योग्य है कि यह तुच्छ आरोपों पर आधारित है जो सच्चाई से कोशों दूर

हैं और याचीगण को परेशान करने के एकमात्र इरादे से लगाए गए हैं। दरअसल, याचिकाकर्ता सं. 1 ने 17.02.2022 को उसके खिलाफ बलात्कार की शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर थाना फेस-III, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईपीसी की धारा 376/506 के तहत प्राथमिकी संख्या 108/2022 दिनांक 28.02.2022 दर्ज की गई थी। याचिकाकर्ता संख्या 1 की शिकायत पर दर्ज इस प्राथमिकी के बारे में पता चलने पर प्रत्यर्थी संख्या 2 ने 22.02.2022 को पुलिस स्टेशन फेज-III, गौतमबुद्ध नगर, नोएडा, यूपी में समान तथ्यों और आरोपों पर एक झूठी शिकायत की, जिस पर भा.दं.सं. की धारा 420/406/467/468/471 के तहत प्राथमिकी संख्या 106/2022 25.02.2022 को दर्ज की गई। प्रत्यर्थी संख्या 2 जुलाई, 2022 तक जांच में शामिल होने में विफल रहा और उसने इस प्राथमिकी में पूछताछ से परहेज किया क्योंकि वह जानता था कि ये आरोप झूठे और मनगढ़ंत हैं और केवल उसके खिलाफ दर्ज बलात्कार की प्राथमिकी के जवाबी हमले के रूप में लगाए गए थे।

8. इसके बाद, शिकायतकर्ता/प्रत्यर्थी संख्या 2 ने दं.प्र.सं. की धारा 156(3) के तहत वर्तमान शिकायत दर्ज की, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान प्राथमिकी संख्या 481/2022 दर्ज की गई। यह दावा किया गया है कि वर्तमान मामले में लगाए गए आरोप 17.02.2022 की पहली शिकायत के समान हैं, जिसमें जांच करने के बाद, जांच अधिकारी ने सक्षम न्यायालय के समक्ष 14.10.2022 को दं.प्र.सं. की धारा 173 के तहत एक समापन रिपोर्ट प्रस्तुत की है। यदि समापन

रिपोर्ट स्वीकार कर ली जाती है, तो यह साबित हो जाएगा कि प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा लगाए गए आरोप झूठे हैं और वह भा.दं.सं. की धारा 340 के तहत अभियोजन के लिए उत्तरदायी होगा।

9. यह दावा किया गया है कि वर्तमान प्राथमिकी समान तथ्यों पर आधारित है और एक ही शिकायत पर दो प्राथमिकी संधार्य नहीं हैं। यह भी दावा किया गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(3) के सहपठित धारा 300 दं.प्र.सं. के तहत, किसी व्यक्ति को दोहरे परिसंकट के अधीन नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ता संख्या 1, सुश्री रितिका की आयु लगभग 34 वर्ष है, जिसका छह साल का एक छोटा बच्चा है और परिवार में कोई पुरुष सदस्य नहीं है, इसलिए उसे बच्चे की देखभाल करना और उसे शिकायतकर्ता/प्रत्यर्थी संख्या 2 के अवैध कृत्यों से बचाना है। वह एक पढ़ी लिखी महिला है जो एक बैंक में सहायक प्रबंधक के रूप में काम करती है और उसका पूर्व रिकॉर्ड साफ है।

10. इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता संख्या 2 की उम्र 65 साल है और याचिकाकर्ता संख्या 2 की पत्नी लगभग 62 साल की है, जो बढ़ती उम्र की कई बीमारियों से ग्रसित है। दोनों की देखभाल करने की जिम्मेदारी याचिकाकर्ता संख्या 1 पर है लेकिन याचिकाकर्ता संख्या 1 पर दबाव बनाने के लिए, यह वर्तमान मामला दायर किया गया है।

11. यह भी दावा किया गया है कि कथित घटना 17.02.2022 से 24.07.2022 के बीच हुई थी। वर्तमान प्राथमिकी बहुत देरी से दर्ज की गई है

और देरी के आधार पर इसे अभिखंडित किया जा सकता है। इसके अलावा, जिन धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है, उनका विवरण भी स्पष्ट नहीं है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान प्राथमिकी अभिखंडित किए जाने योग्य है।

12. अपने दावों के समर्थन में, याचिकाकर्ता ने *विजय कुमार घई एवं अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य*, (2022) 7 एससीसी 124; *परतीक बंसल बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य*, 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 564; *प्रेम चंद सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य*, (2020) 3 एससीसी 54; *टी.टी. एंटनी बनाम केरल राज्य एवं अन्य*, आप.अ. संख्या 689/2001; *दामोदरन पी. एवं अन्य बनाम केरल राज्य एवं अन्य*, आप.अ. संख्या 4066/2001 और *केरल राज्य एवं अन्य बनाम रेवाड़ा चंद्रशेखर एवं अन्य*, आप.अ. संख्या 690-91/2001, (2001) 6 एससीसी 181 पर भरोसा किया है।

13. **प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपना प्रति-शपथपत्र दायर किया है,** जिसमें इस बात से इनकार किया गया है कि वर्तमान प्राथमिकी सं. 481/2022 उसके खिलाफ दर्ज बलात्कार की प्राथमिकी सं. 108/2022 का करारा जवाब है या इसकी सामग्री उसकी पिछली शिकायत के समान है, जिस पर प्राथमिकी सं. 106/2022 दर्ज की गई थी, जिसमें समापन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

14. यह दावा किया गया है कि वर्तमान प्राथमिकी 481/2022 में याचिकाकर्ता संख्या 1 पर 25,00,000/- रुपये खर्च करने के लिए उसे प्रेरित करने; यह दावा करने के लिए कि वह अविवाहित (विवाह-विच्छेद उपरान्त) है

और विवाह के योग्य है, झूठे नोटरीकृत शपथपत्र तैयार करवाने के बारे में वर्तमान शिकायत में विशिष्ट आरोप हैं। चोरी के भी विशिष्ट आरोप हैं क्योंकि उसने महंगी घड़ियां और चश्मे जैसी मूल्यवान वस्तुएं और ऑडी कार संख्या 16 भी चुराई थी। साथ ही, अपनी आधिकारिक क्षमता में, उसने शिकायतकर्ता के बैंक खाते में मोबाइल नंबर को एक नकली नंबर में बदलकर उसके खाते से कुछ रकम का गबन किया है। इसके अलावा, यह भी आरोप लगाया गया है कि चुराए गए खाली चेक का याचिकाकर्ता संख्या 1 द्वारा गबन और दुरुपयोग किया गया है। गबन किया गया चेक उसके द्वारा अन्य सह-अभियुक्तों को 15,90,000/- रूपये का प्रस्तुत करने हेतु दिया गया है। उसी समय, उसने शिकायतकर्ता का मोबाइल नंबर बदलकर नकली नंबर कर दिया, ताकि प्रत्यर्थी संख्या 2 को कोई सूचना न मिले। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि जांच के दौरान बैंक ने भी इन तथ्यों को स्वीकार किया है।

15. याचिकाकर्ता संख्या 1 ने, टेलीफोन पर बातचीत में, मोबाइल नंबर बदलने जैसे अपने अवैध कृत्यों की बात भी कबूल की है। वह जानकारी न देकर या गलत जानकारी देकर अन्य अभियुक्त व्यक्तियों को पनाह दे रही है। उसने शिकायतकर्ता के हस्ताक्षरित खाली चेक जमा करने की धमकी दी है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान प्राथमिकी उन तथ्यों पर आधारित है जो उसकी पिछली शिकायत से अलग हैं। इसके अलावा, दूसरी प्राथमिकी से संबंधित अवैध कृत्यों का समय और स्थान भी अलग है। इस प्रकार यह प्रस्तुत किया

जाता है कि वर्तमान प्राथमिकी गुणागुण हीन है और इसे अभिखंडित किया जाना चाहिए।

16. प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपने मामले के समर्थन में *अंजू चौधरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य,* (2013) 6 एससीसी 384 पर भरोसा किया है, जिसमें यह कहा गया है कि जहां दो प्राथमिकी में दर्ज घटनाएं एक जैसी नहीं हैं, लेकिन दूसरी प्राथमिकी एक बड़ी जांच से संबंधित है, तो दूसरी प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति है।

17. प्रस्तुतियाँ सुनी गईं और अभिलेख का अवलोकन किया गया।

18. यह कानून सुस्थापित है कि यदि लेनदेन समान या समरूप हैं, तो एक ही वाद हेतुक पर दो प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकतीं।

19. *बाबूभाई बनाम गुजरात राज्य और अन्य* (2010) 12 एससीसी 254 के महत्वपूर्ण मामले में उच्चतम न्यायालय ने ***"समानता" की कसौटी*** लागू की और यह मत दिया कि अगर इस प्रश्न कि *"क्या दोनों प्राथमिकी एक ही घटना के संबंध में एक ही घटना से संबंधित हैं या उन घटनाओं के संबंध में हैं जो एक ही लेनदेन के दो या दो से अधिक हिस्से हैं"* का उत्तर सकारात्मक है, तो दूसरी प्राथमिकी अभिखंडित कर दी जाएगी। हालांकि, अगर विपरीत साबित होता है, जहां दूसरी प्राथमिकी में बयान अलग है और वे ***दो अलग-अलग घटनाओं/अपराधों*** के संबंध में हैं, तो दूसरी प्राथमिकी की अनुमति है। यह भी माना गया कि अगर एक ही घटना के संबंध में पहली प्राथमिकी में आरोपी

अलग बयान या प्रतिदावे के साथ सामने आता है, तो ***दोनों प्राथमिकी पर जांच की जानी चाहिए।***

20. *रमेशचंद्र नंदलाल पारीख बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य* (2006) 1 एससीसी 732 के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ***यदि बाद की शिकायतें उसी अपराध या घटना के संबंध में नहीं थीं*** या उसी पक्षकार से संबंधित नहीं थीं जैसा कि पहली रिपोर्ट में आरोपित किया गया था, तो उस आधार पर बाद की शिकायत को अभिखंडित करने की आवश्यकता नहीं है।

21. उच्चतम न्यायालय ने *अमितभाई अनिलचंद्र शाह बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और अन्य* (2013) 6 एससीसी 348 में *सी. मुनियप्पन और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य* (2010) 9 एससीसी 567 के मामले में निर्धारित ***'परिणाम परीक्षण'*** की प्रयोज्यता पर चर्चा की और टिप्पणी कि एक ही संज्ञेय अपराध के संबंध में प्रत्येक अनुवर्ती सूचना प्राप्त होने पर कोई नई जांच नहीं की जा सकती है, तथापि, दूसरी प्राथमिकी को तभी अनुमति होगी, जब ***खुलासा किया गया अपराध उसी लेनदेन का हिस्सा न हो, जो पहली प्राथमिकी में शामिल है*** या यह नहीं कहा जा सकता कि वह पहली प्राथमिकी में शामिल ***अपराध के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुआ है।***

22. *अवदेश कुमार झा @ अखिलेश कुमार झा बनाम बिहार राज्य,* 2016 (3) एससीसी 8 के मामले में भी इसी तरह की टिप्पणियां की गई थीं, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि भले ही दूसरी प्राथमिकी के तहत कथित

अपराध मूलतः पहली प्राथमिकी के तहत अपराधों से अलग हों, फिर भी, किसी भी स्थिति में, उन्हें एक ही लेनदेन का हिस्सा नहीं कहा जा सकता।

23. इस प्रकार, यह अब कोई अनिर्णीत विषय नहीं रह गया है कि यदि दूसरी शिकायत में आरोप भिन्न या बड़े पैमाने के हैं, तो दूसरी प्राथमिकी संधार्य है। ऐसे मामलों में, न्यायालय को किसी दिए गए मामले की परिस्थितियों की जांच करने की आवश्यकता होती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या प्राथमिकी अलग घटना या समान या अलग अपराधों पर आधारित हैं या बाद में हुआ अपराध इतना बड़ा है कि वह पहले की प्राथमिकी के दायरे और परिधि में नहीं आता है।

24. वर्तमान मामले में, उस शिकायत की तुलना, जो पहली प्राथमिकी संख्या 106/2022 और दूसरी प्राथमिकी संख्या 481/2022 का आधार बनी, से पता चलता है कि हालांकि कुछ आरोप समान या परस्परव्याप्त हैं, लेकिन दूसरी प्राथमिकी संख्या 481/2022 अलग-अलग है क्योंकि दोनों शिकायतों का आधार स्पष्ट रूप से अलग है।

25. प्रासंगिक रूप से, दोनों प्राथमिकी में ***अभियुक्त व्यक्ति अलग-अलग हैं*** क्योंकि याचिकाकर्ता संख्या 2 और 3, जिन्हें यहां ***अभियुक्त*** के रूप में नामित किया गया है, पहले की प्राथमिकी में नामित ***अभियुक्त*** नहीं हैं, जो याचिकाकर्ता संख्या 1 और चार अन्य व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई थी।

26. पहली प्राथमिकी में मुख्य रूप से मर्सिडीज कार के दस्तावेजों में जालसाजी करने और धमकी भरे कॉल करने का आरोप है। हालांकि, मौजूदा

प्राथमिकी संख्या 481/2022 में ऑडी कार संख्या 16, तीन घड़ियां और पांच चश्मे ***चोरी करने के अतिरिक्त आरोप हैं।*** याचीगण पर शिकायतकर्ता/प्रत्यर्थी संख्या 2 के डेबिट कार्ड, बीमा के कागजात और चेक बुक और एसआईपी लेने के भी आरोप हैं।

27. इस प्रकार, जबकि कुछ आरोप समान हैं, लेकिन दूसरी प्राथमिकी में, उनके खाता संख्या 01090104000361743 से उनके जाली हस्ताक्षर करके और आईडीबीआई बैंक के अज्ञात स्थानों से शिकायतकर्ता की जानकारी के बिना कई लेनदेन करके ***अवैध लेनदेन किए जाने के विशिष्ट आरोप लगाए गए हैं।***

28. ऐसे भी आरोप हैं, जिनका पिछली प्राथमिकी में उल्लेख नहीं है, कि याचिकाकर्ता ने ***शिकायतकर्ता के सभी खाली चेक जारी करने और वितरित करने की धमकी दी है*** और उससे 1 करोड़ रुपये की मांग की है। विशेष रूप से, चेक संख्या 716878 को 29.03.2022 को नमन शर्मा के पक्ष में 15,90,000/- रुपये की राशि के लिए, शिकायतकर्ता की जानकारी के बिना प्रस्तुत किया गया है, जिसे शिकायतकर्ता ने रोक दिया था, जिस पर याचिकाकर्ता संख्या 1 द्वारा धमकी दी गई कि यदि वह उसे मांगी गई राशि देने में विफल रहा तो वह अन्य सह-अभियुक्तों के साथ मिलकर प्रत्यर्थी संख्या 2 को परेशान करने के लिए शिकायतकर्ता के खाली चेक अन्य व्यक्तियों को वितरित कर देगी।

29. इसके अतिरिक्त, अन्य आरोप भी हैं कि याचिकाकर्ता संख्या 1 ने अन्य बैंक कर्मचारियों की मदद से बैंक खाते में उसका मोबाइल नंबर बदल दिया है और शिकायतकर्ता की जानकारी या सहमति के बिना चेकबुक जारी कर दी है

और उसने दूसरे नंबर पर भी यूपीआई पेमेंट मोड सक्रिय कर दिया था और 716877-716887 नंबर वाले खाली चेक भी ले लिए थे, जो पहले की प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों से अलग हैं।

30. उपर्युक्त चर्चा के आलोक में, यह नहीं कहा जा सकता है कि दूसरी शिकायत में लगाए गए आरोप, पहले की प्राथमिकी के समान हैं जिसमें समापन रिपोर्ट दाखिल की गई है। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, अभियुक्त व्यक्ति अलग-अलग हैं और चोरी, धन उगाही, हस्ताक्षरित चेकों के दुरुपयोग आदि के कुछ आरोप पहले दर्ज की गई प्राथमिकी के अतिरिक्त हैं तथा अलग-अलग घटनाओं पर आधारित हैं तथा पूरी तरह से एक अलग संक्षिप्तीकरण का हिस्सा हैं। ये घटनाएँ अलग-अलग तारीखों या समय पर हुई हैं। भले ही सभी कथित अपराधों में कार्यप्रणाली एक जैसी हो, इन्हें "एक ही प्रकार के अपराध" के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, लेकिन ये "एक ही अपराध" नहीं बनते, क्योंकि यदि इन्हें कई बार किया गया है, तो हर बार यह एक अलग अपराध बनता है, जिसके लिए अभियुक्त पर सभी अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

31. प्राथमिकी दर्ज करना शिकायत में लगाए गए आरोपों और कथनों के सत्यापन के लिए एक तंत्र है और यह याचीगण के अपराध को प्रथम दृष्टया साबित नहीं करता है। कथित अपराधों की जांच करने तथा तदनुसार रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जांच अधिकारी अभी भी स्वतंत्र है। यदि जांच अधिकारी को लगता है कि आरोपों में कोई गुणागुण नहीं है या इन आरोपों की पहले की

प्राथमिकी में जांच की जा चुकी है और वे निराधार पाए गए हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसे अपनी जांच के संदर्भ में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने से रोकता है। इस स्तर पर प्राथमिकी को अभिखंडित करने का कोई आधार नहीं है।

32. इसलिए, याचिका खारिज की जाती है और तदनुसार उसका निपटान किया जाता है। लंबित आवेदन, यदि कोई हो, तो उसका भी निपटान किया जाता है।

(नीना बंसल कृष्णा)
न्यायाधीश

28 अगस्त, 2024/आरएस

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*